

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-09/2017 270

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/मेदिनीनगर/याँत्रिक ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता -सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 27-02-18

विषय :- माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य/	800-अन्य व्यय/ 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण/ 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180800460545	331.50

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 1710.00 लाख (सतरह करोड़ दस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No / Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 270

राँची, दिनांक :- 27-02-18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/बुण्डु/मंडल/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।




(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 270


राँची, दिनांक :- 27-02-18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव



(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख



(डी०के० तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक: २२९०

दिनांक: २२-०२-१८

का अनुलननक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियद्य, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49SS470180800460545

वित्तीय वर्ष 2017-18 में संशोधित बजट उपबंध 1710.00 लाख (सतरह करोड़ दस लाख) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2017 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि			
1	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMRR003)	मेदिनीनगर	सोनरे सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन कार्य	29/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-21.09.2015	104.170	68.97	0.00	7.50	7.50	94897		
2	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIRR011)	राँची	कॉपी सिंचाई योजना अन्तर्गत इंचागढ शाखा नहर के कि०मी० 0.00 से 4.90 कि०मी० तथा कि०मी० 22.90 से 28.50 कि०मी० तक नया लैंक टाप रोड बनाने एवं कि०मी० 4.90 से 22.90 कि०मी० तक (लावा से पुरानहीह) पूर्व में की गयी कालीकूल सड़क के जीर्णोद्धार कार्य	02/15-16 प्र.स्वी. दिनांक-08.05.2015	1351.460	347.83	290.00	310.00	600.00	95017		
3	यांत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर (LTRIRR001)	यांत्रिक	यांत्रिक प्रमंडल मंडल /लातेहार शिविर मेदिनीनगर अन्तर्गत वननीछाँड जलाशय योजना, नकदीनाला वीथर योजना, टेम्सडिन जलाशय योजना एवं वीथरा बाकी जलाशय योजना के यांत्रिक कार्य हेतु।	31/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-03.08.2016	48.550	0.00	42.55	10.00	52.55	95033	Renovation work of gates with hoisting arrangement etc. of Baya Banki Reservoir Scheme.	
				यांत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर अन्तर्गत वननीछाँड जलाशय योजना एवं रानीताल जलाशय योजना के यांत्रिक कार्य हेतु	32/16-17 प्र.स्वी. दिनांक-03.08.2016	24.480	7.96	9.83	4.00	13.83	95035	Renovation of gates with hoisting arrangement etc. of Bahnikhand Reservoir Scheme.
				योग			342.38	331.50	673.88			

आवृत्त राशि - ₹ तीन करोड़ एकतीस लाख पचास हजार मात्र।



(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (आभि.)



(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव



(आर.एस. तिराग)

अभियंता प्रमुख



(डी०के० तिवारी)

अपर मुख्य सचिव